# न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

**प्रा.पत्र मुन्त. / 04 / 2026**

1. डूँगरमल पुत्र प्रेम
2. सबो उर्फ सावित्री पत्नी डूंगरमल — जाति ब्राहम्ण निवासी सहना तहसील
3. हरिओम पुत्र डूंगरमल — उच्चैन जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

**बनाम**

1. योगेश पुत्र डूंगरमल जाति ब्राहम्ण निवासी सहना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर

.....असल अप्रार्थी0

2. पिंकी पत्नी डूंगरमल
3. बहादुर पुत्र रामसरन — जाति ब्राहम्ण निवासी सहना तहसील उच्चैन
4. मुरारीलाल पुत्र रामसरन — जिला भरतपुर
5. सजवीर पुत्र रामसरन

.....तरतीवी अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरूद्ध पीठासीन अधिकारी श्री सुरेश हरसौलिया उपखण्डाधिकारी उच्चैन प्रकरण उनवानी योगेश बनाम डूंगरमल वगै0 दावा संख्या 48 / 23, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 47 / 2023 एवं 32 / 2025 तथा रिसीवर प्रार्थना पत्र संख्या 3 / 2025

**उपस्थितः–**
1–श्री मोहन सिंह राना, अभिभाषक प्रार्थी,
2–महाराज सिंह डागुर अभिभाषक अप्रार्थी–1

**निर्णय** **दिनांक 29.04.2026**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध उपखण्डाधिकारी उच्चैन इस आशय का पेश किया गया, जो संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय उपखण्डाधिकारी उच्चैन में असल अप्रार्थी द्वारा एक दावा उनवानी योगेश बनाम डूंगरमल वगै. पेश किया है जिसमें दो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट दावे के साथ प्रस्तुत किये गये। बाद का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दर्ज कर लिया गया एवं रिसीवर प्रार्थना पत्र भी असल अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके नोटिस प्राप्त होने पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 3 लगायत 4 के वकील ने जबाव पेश करने के लिए 20 दिवस का समय मांगा तो पीठासीन अधिकारी ने वमुश्किल से 9.2.2026 तारीख पेशी नियत की है. और कहा कि तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवा ली है जबाब देकर क्या करेंगे।अप्रार्थी संख्या 2 की तलवी बकाया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीक

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

तारीख पेशी दी जा रही है। पीठासीन अधिकारी के ऐसे व्यवहार से अन्देशा हो गया है कि वह आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने पर आमादा हैं। दिनांक 05.02.2026 को असल अप्रार्थी को चैम्बर से निकलते हुये देखा व प्रार्थीगण को देखते ही कहा कि मेरी वार्ता पीठासीन अधिकारी से हो गई हैं तुम कुछ भी कर लो दिनांक 9.2.2026 रिसीवर के प्रार्थना पत्र पर फैसला मेरे पक्ष में ही होगा। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी0 के पक्ष की ओर प्रमाणित है। क्योंकि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण तलवी में होने के बाबजूद जबाब प्रस्तुत करने के लिए 20 दिन का समय भी नहीं देना न्यायिक प्रक्रिया में संदेह पैदा करता है। अतः प्रार्थी0 को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी उच्चैन से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी उच्चैन में विचाराधीन दावा/प्रार्थना पत्र मुकदमा संख्या 48/2023, 47/2023, 32/2025 एवं 3/2025 को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र पर उपखण्डाधिकारी उच्चैन से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्डाधिकारी उच्चैन से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी0 संख्या 1 उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण की तलबी के सम्बन्ध में वकील अप्रार्थी0 द्वारा निवेदन किया है कि प्रकरण में असल अप्रार्थी उपस्थित हैं अन्य अप्रार्थी0 की तलवी की आवश्यकता नहीं रहती है। जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा भी अन्य अप्रार्थी0 की तलवी नहीं कराने हेतु सहमति जाहिर की गई एवं फाईनल बहस सुने जाने हेतु निवेदन किया।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि न्यायालय उपखण्डाधिकारी उच्चैन में असल अप्रार्थी द्वारा एक दावा उनवानी योगेश बनाम डूंगरमल वगै. पेश किया है जिसमें दो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट दावे के साथ प्रस्तुत किये गये। बाद का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दर्ज कर लिया गया एवं रिसीवर प्रार्थना पत्र भी असल अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके नोटिस प्राप्त होने पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 3 लगायत 4 के वकील ने जबाव पेश करने के लिए 20 दिवस का समय मांगा तो पीठासीन अधिकारी ने वमुश्किल से 9.2.2026 तारीख पेशी नियत की है और कहा कि तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवा ली है जबाब देकर क्या करेंगे। अप्रार्थी संख्या 2 की तलवी बकाया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीक तारीख पेशी दी जा रही है। पीठासीन अधिकारी

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

के ऐसे व्यवहार से अन्देशा हो गया है कि वह आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने पर आमादा हैं। दिनांक 05.02.2026 को असल अप्रार्थी को चैम्बर से निकलते हुये देखा व प्रार्थीगण को देखते ही कहा कि मेरी वार्ता पीठासीन अधिकारी से हो गई हैं तुम कुछ भी कर लो दिनांक 9.2.2026 रिसीवर के प्रार्थना पत्र पर फैसला मेरे पक्ष में ही होगा। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी0 के पक्ष की ओर प्रमाणित है। क्योंकि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण तलवी में होने के बाबजूद जबाब प्रस्तुत करने के लिए 20 दिन का समय भी नहीं देना न्यायिक प्रक्रिया में संदेह पैदा करता है। अतः प्रार्थी0 को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी उच्चैन से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी उच्चैन में विचाराधीन दावा/प्रार्थना पत्र मुकदमा संख्या 48/2023, 47/2023, 32/2025 एवं 3/2025 को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 की बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्ण निष्पक्ष रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है। उपखण्डाधिकारी उच्चैन से अप्रार्थी0 की कोई बातचीत नहीं है। ना ही अप्रार्थी द्वारा कभी भी प्रार्थी को कोई धमकी दी है। प्रार्थी दावा एवं प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। उपखण्डाधिकारी उच्चैन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा एवं प्रार्थना पत्रों को देरीना करने के लिए न्यायालय श्रीमान के यहॉ मुन्तकिली प्रार्थना पत्र लगाया गया है। फिर भी श्रीमान चाहे तो उपखण्डाधिकारी उच्चैन में विचाराधीन दावा/प्रार्थना पत्र मुकदमा संख्या 48/2023, 47/2023, 32/2025 एवं 3/2025 को किसी भी न्यायालय में स्थानान्तरित कर सकते हैं। अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया किया। उपखण्डाधिकारी उच्चैन से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी हो सके एवं उसके द्वारा लगाये गये आरोपों की प्रमाणिकता को बल मिल सके। फिर भी वकील अप्रार्थी द्वारा उक्तानुसार विचाराधीन प्रकरणों से सम्बन्धित पत्रावली को अन्य किसी भी न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर न्यायालय उपखण्डाधिकारी उच्चैन में विचाराधीन दावा/प्रार्थना पत्र मुकदमा संख्या 48/2023, 47/2023, 32/2025 एवं 3/2025 उनवानी योगेश बनाम डूंगरमल वगै. को न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर में मुन्तकिल किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्डाधिकारी उच्चैन एवं सहायक कलक्टर भरतपुर, को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर